

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.12.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त श्रीराम मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. श्रीराम मिश्रा पुत्र रामफेर मिश्रा नि0 वीरपुरडीहा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—525/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

बरामदगी—

01. 1 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 सभाजीत सिंह मय टीम।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना को0देहात पुलिस ने 01, थाना धानेपुर पुलिस ने 01, थाना तरबगंज पुलिस ने 01, थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना को0मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामशंकर पुत्र मलहू वर्मा निवासी ग्राम नकछेदपुरवा मौजा जिगना थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-533/22, 02. आलोक शुक्ला पुत्र श्रीकान्त शुक्ला निवासी ग्राम मुरली दतौली थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-534/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी बिजली नि0ग्राम हड़हवा थाना मोतीगंज जनपद— गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-305/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रीमती राधा सिंह पत्नी स्व0 विजय कुमार सिंह निवासिनी ग्राम किशुनदासपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-513/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दीनानाथ मिश्रा पुत्र मोतीलाल मिश्रा निवासी ग्राम डिकिसर थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 279/22, 02. विनोद सिंह पुत्र महाबीर सिंह निवासी ठाकुर द्वारा पोस्ट उमरीबेगमंज थाना उमरीबेगमंज जनपद गोण्ड के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-280/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।